राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3908/2025

जितेन्द्र कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज, भरतपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर।
5. श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, जरिये पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.08.2025
आदेश की दिनांक : 17.09.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राम कुमार स्वामी, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में संस्थापन अधिकारी के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भरतपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से आयोजना एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुये पदस्थापन किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.08.1986 को हुई थी और उसे सेवाकाल में कई जिलो में पदस्थापित किया गया। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उसे जिला धौलपुर पदस्थापित किया गया और पदोन्नति उपरांत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उसे जिला भरतपुर दिनांक 20.02.2024 को पदस्थापित किया गया। तब से

अपीलार्थी निरंतर भरतपुर में कार्यरत है। उसकी सेवायें हमेशा संतोषजनक रही हैं। रिक्ति वर्ष 2025–26 के विरूद्ध अपीलार्थी को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर संस्थापन अधिकारी के पद पर दिनांक 01.04.2025 से पदोन्नत किया गया और विभाग द्वारा पदोन्नत कार्मिकों से पदस्थापन के संबंध में तीन विकल्प मांगे गये। अपीलार्थी ने पदस्थापन के संबंध में विकल्प पत्र प्रस्तुत किये। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के दो बच्चे हैं, जो राज्य से बाहर रहते हैं। अपीलार्थी अपनी पत्नी एवं 85 वर्ष के वृद्ध मां के साथ रहता है, जिनकी देखभाल हेतु अपीलार्थी के अलावा घर पर अन्य कोई नहीं है। अपीलार्थी की मां अक्सर बीमार रहती हैं, जिनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है। अपीलार्थी ने अपनी पारिवारिक समस्याओं को व्यक्त करते हुये पदस्थापन के संबंध में अभ्यावेदन दिया, जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया और उसे आयोजना एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, जयपुर पदस्थापित कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को कार्यालय आईजी पुलिस, भरतपुर में पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में संस्थापन अधिकारी के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भरतपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से आयोजना एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा पुलिस मुख्यालय, जयपुर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अवलोकन के स्पष्ट है कि अपीलार्थी को संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापन किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो विकल्प पत्र पदस्थापन के संबंध में मांगे गये हैं, वह स्वीकृत पदों के अनुरूप मांगे गये हैं। किसी भी कार्मिक को अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी हैं। अपीलार्थी का पदस्थापन पदोन्नति उपरांत किया गया है। इस प्रकार

हम आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य